

82

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र. क्र. 882/निगरानी / ग्वालियर / भूराजस्व / 2018 / 0875

श्री जगदीश श्रीवास्तव, कर्मि
राजस्व दि. 5-2-18
प्रस्तुत! पारमिक तर्क हेतु
दिनांक 13-2-18 निगरानी

5-2-18

श्रीमती राजाबेटी पत्नी श्री धुन्धीसिंह, निवासी
महेन्द्र एजेंसी के बगल से पानी की टंकी के
पास पिन्टोपार्क चौराहा मुरार ग्वा0.....प्रार्थिनी

बनाम

नरेश पुत्र स्व0श्री रामनारायण निवासी नीबूआ
का पुरा मुरार तहसील व जिला ग्वालियर
म0प्र0 ...प्रतिप्रार्थी


म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अनुविभागीय
अधिकारी मुरार ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 17 / 2017-18 अपील
में पारित आदेश दिनांकी 19.12.2017 के निर्णय के विरुद्ध निगरानी

882

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/18/0875

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-2018	<p>शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। आवेदक अधिवक्ता श्री जगदीश श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें सुना गया तथा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश दिनांक 19-12-2017 का अवलोकन किया गया। आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 के आवेदन पर जो आदेश किया गया है उसे स्वीकार करने के कारण नहीं बतलाये गये हैं अतः अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे धारा 5 के आवेदन पर सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करें। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इन निर्देशों के साथ इस न्यायालय में समाप्त किया जाता है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>